भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं का योगदान

डॉ. राजेंद्र काशीनाथ जाधव, हिन्दी विभाग, बहुजन समाज शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, सोनगीर. ता. जि. धुळे

संबोध शब्द

लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक समिति, ध्वज समिति, देशभक्ति, गैरकानूनी, मसौदा, विधेयक, राजदूत, विभाजन, नागरिकता एवं द्विसदनीय आदि ।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद, भारतीय नेताओं के मन में कई विचार और मत प्रवाहित होने लगे कि, भारत में कौनसी राजनीतिक व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जैसे कई नेताओं ने लोकतंत्र के माध्यम से भारत के भविष्य के विकास का सपना देखा । लोकतंत्र के ढांचे को परिभाषित करने के लिए तथा इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए और आम तत्वों को इससे लाभान्वित करने के लिए संविधान महत्वपूर्ण था ।

9 दिसंबर, 1946 को 'कैबिनेट मिशन' योजना के तहत डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान समिति का गठन किया गया। संविधान समिति के 389 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कार्य किया। संविधान समिति के इन सदस्यों के अलावा 15 महिला सदस्य थीं। जिन्होंने संविधान निर्माण प्रक्रिया में कई मुद्दों पर चर्चा की और निर्भीकता से अपनी राय व्यक्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कई मुद्दों पर अपनी राय रखने वाली महिला सदस्यों की भूमिका पर अधिक विचार-विमर्श नहीं हुआ है। भारत की आजादी के 75 साल बाद आज भारतीय संविधान में महिलाओं की उपलब्धियों की, योगदान की समीक्षा करना प्रस्तुत शोधालेख का उद्देश्य रहा है ।

भारतीय संविधान समिति ने संविधान बनाने की चुनौती को स्वीकार किया। संविधान के माध्यम से समाज की कल्पना करना और उस विशिष्ट आदर्श या लक्ष्य के प्रति समाज का निर्माण करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा । संविधान या संविधान समिति पर चर्चा करते हुए डॉ. अंबेडकर, पंडित नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आदि का उल्लेख मुख्य रूप से किया जाता है। घटनाओं के निर्माण में इन नेताओं की भूमिका अग्रणी और महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय संविधान समिति की महिला सदस्यों के कार्यों और योगदान से आज भी अधिकांश लोग आज भी अपरिचित हैं ।

उद्देश्य

भारत की आजादी के 75 साल आज भारतीय संविधान में महिलाओं की उपलब्धियों की, योगदान की समीक्षा करना प्रस्तुत शोधालेख का उद्देश्य रहा है ।

विषय का महत्त्व

भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कई मुद्दों पर अपनी राय रखने वाली महिला सदस्यों की भूमिका पर अधिक विचार-विमर्श नहीं हुआ है। उन महिलाओ की जानकारी प्राप्त कर, उनके योगदान तथा महत्त्व को प्रतिपादित करना यही इस विषय का महत्त्व है ।

विषय प्रवेश

भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं का योगदान:

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, पंडित नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद उस समय के सभी नेता बहुत प्रभावशाली हुए। भारतीय संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान की चर्चा करते हुए, महिलाओं के भाषण को देखने पर यह देखा जा सकता है कि चर्चा में उनकी भागीदारी केवल लैंगिक समानता या लैंगिक भेदभाव तक ही सीमित

नहीं थी, बल्कि उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकार, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, न्यायिक व्यवस्था, राज्य के दिशा-निर्देश, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार, समान नागरिक कानून जैसे कठिन और रणनीतिक विषयों पर भी चर्चा की। महिला सदस्यों की भागीदारी से प्रारूप समिति के विचार-विमर्श को गति और दिशा दी। संविधान निर्माण में कार्य करनेवाली उन महिलाओ का संक्षिप्त परिचय निम्ननुसार है ।

1) दुर्गाबाई देशमुख	2) बेगम रसूल	3) रेणुका रे
4) राजकुमारी अमृत कौर	5) हसम्बेन मेहता	6) पूर्णिमा बनर्जी
7) लीला रॉय	8) दक्षिणायनी वेलायुदन	9) सरोजनी नायडू
10) विजयलक्ष्मी पंडित	11) कमला चौधरी	12) मालती चौधरी
13) सुचेता कृपलानी	14) अम्मू स्वामीनाथन	15) एनी मस्करीन

महिला सदस्य की भूमिका संक्षेप में इसप्रकार है -

1) बेगम रसूल

बेगम रसूल को उत्तरी प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। वह संविधान समिति की पहली और एकमात्र मुस्लिम सदस्य थीं। वह मुस्लिम लीग की नेता थीं और संविधान समिति के अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर मसौदा समिति की सदस्य भी थीं। उन्होंने संविधान मसौदा समिति के समक्ष कहा कि, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति की देशभक्ति का निर्धारण करना सही नहीं है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि, मसौदे में लिंग के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने वाला खंड क्यों नहीं था। उन्होंने संसद शब्द के बजाय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुझाव दिया। इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि, अगर ऐसा किया जाता है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी के योगदान को केवल भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया याद रखेगी । संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने में राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति को सीमित करने के लिए एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था और संशोधन को स्वीकार कर लिया गया था।

वर्तमान में प्रावधान यह है कि, राष्ट्रपति संसद द्वारा पहली बार पारित किसी विधेयक को वीटो कर सकता है। लेकिन दूसरी बार जब संसद विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के साथ या बिना सहमति के लिए वापस भेजती है, तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। संविधान में बेगम रसूल का काम बहुत महत्वपूर्ण है।

सरोजिनी नायडू:

सरोजिनी नायडू बिहार प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल हुईं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं और उन्हें एक भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। वह संविधान समिति में राष्ट्रीय ध्वज समिति की अध्यक्ष थीं। इस समिति ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति देने के बाद ध्वज को अपनाया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जाति, धर्म, महिला और पुरुष के आधार पर देश का नेतृत्व करना सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि समिति में महिलाओं को अधिक से अधिक भाषण देना चाहिए। भारत के संविधान में इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

विजयालक्ष्मी पंडित:

विजयालक्ष्मी पंडित ने संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में संवैधानिक समिति में प्रवेश किया। संविधान समिति में उनका कार्यकाल कुछ ही महीनों का था। क्योंकि उन्हें रूस में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संविधान समिति के समक्ष अपने भाषण में उन्होंने भारत को एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बताया जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर विश्वास के साथ खड़ा है। कई राष्ट्रों में और देश की जनता के सामने उनका मानना था कि, भारतीय संविधान एक प्रेरणा और मार्गदर्शक होगा।

लीला रॉय:

लीला रॉय ने संविधान सभा में बंगाल प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन से सहानुभूति थी। उन्होंने 1921 में बेंटून कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अखिल बंगाल महिला

अत्याचार समिति की सहायक सचिव बनीं और महिलाओं के अधिकारों के लिए बैठकें आयोजित करती रही। भारत के विभाजन से व्यथित होकर उन्होंने इसके विरोध में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

रेणुका रे:

रेणुका रे इन्हें संविधान सभा में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। अनुच्छेद 28 की वर्तमान चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए यह सुझाव दिया गया और स्वीकार किया गया। वर्तमान अनुच्छेद 23 में श्री दास द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, देवदासी और वेश्यावृत्ति देश में गंभीर सामाजिक समस्याएँ हैं। इसे खत्म करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन संविधान में इन मुद्दों का उल्लेख इतना एकीकृत नहीं है। उनका मत था कि भारत जैसे विविधता से भरे देश में देश की अखंडता और अविभाज्यता के लिए अमेरिका जैसी दोहरी नागरिकता के बजाय एकल नागरिकता स्वीकार की जानी चाहिए। वे द्विसदनीय विधायिका के विरोधी थे, क्योंकि उनकी राय में, यह प्रणाली शक्ति और समय दोनों की बर्बादी होगी। उनका मानना था कि लोगों के कुछ समूहों के लिए आरक्षण असाधारण होना चाहिए। संविधान में रेणुका रे का योगदान अमूल्य है।

हंसा मेहता:

हंसा मेहता को मुंबई प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। वह भारत की संविधान समिति की एक सक्रिय, कट्टर नारीवादी सदस्य थीं। वह सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार उप-समिति, प्रांतीय संविधान समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति की सदस्य थीं। 1948 में, उन्होंने भारतीय महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों का मसौदा तैयार किया। यह मसौदा 1948 के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा से प्रभावित था। समय-समय पर उन्होंने संविधान समिति के समक्ष अपने भाषणों में महिला आरक्षण का स्पष्ट विरोध किया। उद्देश्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं विशेष रियायतों और आरक्षणों के बजाय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अपेक्षा करती हैं। किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा लोकतंत्र नहीं है।

पंडित नेहरू द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद, उन्हें संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति के लिए चुना गया। वहां भी, उन्होंने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में इतिहास रचा, यह तर्क देते हुए कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं।

पूर्णिमा बनर्जी:

पूर्णिमा बनर्जी को संविधान सभा में संयुक्त प्रांत द्वारा चुना गया था। उन्होंने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि, शिक्षा और रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता पर परिचर्चा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान अनुच्छेद 28 शासन के तहत विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के मूल सिद्धांत को शामिल किया जाए तो छात्र सर्वधार्मिक समानता के सिद्धांत और धर्म की अवधारणा को आत्मसात करेंगे।

वह आमतौर पर राज्यसभा की भूमिका और उपयोगिता को लेकर आशंकित रहती थीं। राजनीतिक हितों या आय से अधिक संपत्ति के आधार पर इस सभा के सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगाने का प्रावधान होना चाहिए, अन्यथा ऐसे सदस्य देशहित में बने कानूनों के अनुमोदन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उनका संदेह वर्तमान समय में सच प्रतीत होता नजर आता है। निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों की चर्चा में उनकी भागीदारी उल्लेखनीय है। उनका स्पष्ट मत था कि सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों या असामाजिक तत्वों को पूर्व-गिरफ्तार करने का अधिकार होना चाहिए। आज के अनुच्छेद 22 में उन्होंने यह तर्क सुझाया कि इस अनुच्छेद को लागू करते समय सरकार पर कुछ संयम होना चाहिए।

संविधान समिति के समय महिला सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनुरोध किया था कि, यदि अचानक और किसी कारण से महिला सदस्यों की जगह खाली हो जाती है, तो उन जगहों पर केवल महिला सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। संविधान की स्वीकृति के समय अपने भाषण में उन्होंने व्यक्त किया कि देश के मूल्यवान खनिजों और महत्वपूर्ण उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए और क्षेत्र में कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संविधान समिति में महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूर्णिमा बनर्जी को सदैव याद रखा जाएगा ।

राजकुमारी अमृत कौर:

राजकुमारी अमृत कौर संविधान सभा में सी.पी. और बरार प्रान्त के प्रतिनिधि थी । वह संविधान समिति, स्थापित वित्त और कार्मिक और राष्ट्रीय ध्वज समिति की सदस्य थीं। संविधान समिति ने उनके आग्रह को स्वीकार किया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल खादी के कपड़े और हाथ से बुने हुए सूत से बना होना चाहिए। वह स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थीं। इस प्रकार उन्होंने संविधान निर्माण में अमूल्य कार्य किया हुवा दिखाई देता है ।

दुर्गाबाई देशमुख:

दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा में मद्रास प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई थी । वह संविधान मसौदा समिति के प्रेसीडियम की एकमात्र महिला सदस्य थीं। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में सराहा, जिसने दृढ़ता और अथक प्रयास से उनका समर्थन किया, और गुमनाम कारणों से संविधान समिति में रिक्तियों को भरने के लिए नियमों में बदलाव का सुझाव दिया। मौजूदा अनुच्छेद 39एफ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि, अगर बच्चों और युवाओं के शोषण से सुरक्षा और उसके अधिकारों के क्रियान्वयन की व्यवस्था कारगर नहीं होगी तो उसे केवल दिशा-निर्देशों के तहत ही आत्मसात करना प्रभावी नहीं होगा ।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए न कि सीधे। संशोधन समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर चर्चा करते समय इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राज्यपाल को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि न्यायाधीशों को भारतीय नागरिक होना चाहिए । सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान अनुच्छेद 32 पर बहस करते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि भले ही उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका खारिज कर दी जाती है, यह उम्मीद करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है कि याचिका को अधिनियम की तकनीकीताओं पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उनका मत था की, सभी समुदायों या वर्गों के लोगों को सार्वजनिक पूजा स्थलों और मंदिरों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करना चाहिए इस बात पर बल दिया । उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया कि सभी राज्य व्यक्तिगत हित कि बजाए सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दें ।

दक्षिणायनी वेलुदन:

यह मद्रास प्रांत से चुनी गई थी। वह संविधान समिति की एकमात्र दलित महिला सदस्य थीं। डॉ. अम्बेडकर और गांधीजी की सोच से प्रभावित दलितों को अस्पृश्यता और भेदभाव जैसी अमानवीय प्रथा से मुक्त करने की इच्छा उनकी प्रस्तुति में देखी जा सकती है। उनका स्पष्ट मत था कि, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में दलितों को आरक्षण देने से हम औपनिवेशिक विवाद की तरह जाति के आधार पर बंटे रहेंगे और दलित समाज गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएगा।

स्वतंत्र भारत की शासन अधिनियम का एक संशोधित संस्करण है। विशेष रूप से, केंद्र शासित प्रदेश और गवर्नर ब्रिटिश राज्य प्रणाली की नकल हैं। टिप्पणी की, कि ये चीजें भारतीय विविधता में योगदान नहीं करती हैं। भारत गणराज्य में राज्यों की स्वायत्तता को बनाए रखने का सुझाव देते हुए उन्होंने संविधान समिति को एक क्रांतिकारी सुझाव दिया कि संविधान का प्रारूप तैयार होने के बाद इसे पहले चुनाव में जनता की राय

के लिए पेश किया जाना चाहिए।

संविधान, किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है, और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में है। भारतीय संविधान के निर्माण में 15 महिला सदस्यों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है।

निष्कर्ष:

1. भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है | भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है।
2. संविधान भारत के सर्वोत्तम दस्तावेजों में से एक है। इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं।
3. भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। भारतीय राजनीतिक संस्कृति का परिचय संविधान से मिलता है। भारत की परम्परागत नागरिक संस्कृति की दृष्टि निर्माण का कार्य इस पुस्तक के माध्यम से देखा जाता है, जिसे संविधान सभा में महिला सदस्यों के साथ-साथ पुरुषों ने भी किया है।
4. संविधान निर्माण संविधान के माध्यम से पुरुषों के साथ इन महिला सदस्यों द्वारा देश में एक नई सामाजिक क्रांति का जन्म हुआ। जिससे देश में न्याय, समानता और भाईचारा जैसे मूल्यों का प्रसार हुआ।
5. संविधान निर्माण में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, पंडित नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के योगदान के साथ-साथ दुर्गाबाई देशमुख, रेणुका रे, बेगम रसूल, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजिनी नायडू का योगदान भी अमूल्य है।

ग्रंथसूची :

1. शर्मा बी. के., इंट्रोडक्शन टू द कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, पी.एच.आई. लर्निंग प्रा. लिमिटेड, पृ.क्र. ३३२
2. संविधान का विकास और संरचना - द हिंदू, पृ.क्र. ३
3. भारतीय संसद के संकट स्थल पर संविधान मसौदा समिति की चर्चा, भाग 1-12।, पृ.क्र. ४४८
4. रविचंद्रन प्रिया, गणतंत्र की वास्तुकला में महिलाएं, लेख, पृ.क्र. १७
5. बाछल डॉ. वी.एम., भारत का संविधान, के सागर प्रकाशन, पृ.क्र. १२८
6. www.indianconstitution.co.in